

नई कर व्यवस्था

प्रलिस के लयः

केंद्रीय बजट 2023-24

मेन्स के लयः

बजट 2023-24 से जुड़े मुख्य बढि, कर व्यवस्था में बदलाव, वतित वधियक, 2023

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [केंद्रीय बजट 2023-24](#) के भाषण में केंद्रीय वतित मंत्री ने नई आयकर व्यवस्था के तहत **आयकर स्लैब और छूट की सीमा में बदलाव** की घोषणा की।

- प्रस्तावति 2023 वतित वधियक के अनुसार, **"एंजेल टैक्स"**, जो कभी केवल भारतीय नविसयों द्वारा जुटाए गए नविसों पर लागू होता था, अब वदशी नविसकों को शेर बेचने वाले व्यवसायों पर भी लगाया जा सकता है।

प्रस्तावति बदलावः

- कर छूट की सीमा बढाई गईः**
 - इस सीमा को 5 लाख रुपए से बढाकर 7 लाख रुपए करने का अर्थ है **कजिसि व्यकती की आय 7 लाख रुपए से कम है, उसे छूट का दावा करने के लयि कुछ भी नविस करने की आवश्यकता नहीं होगी** और ऐसे व्यकतीद्वारा कयि गए नविस की मात्रा के बावजूद पूरी आय कर-मुक्त होगी।
 - नतीजतन, मध्यम आय वर्ग के पास अधिक कर्य शकती होगी** क्योंकि वे छूट का लाभ लेने के लयि नविस योजनाओं के बारे में बहुत अधिक चति कयि बनिा आय की पूरी राशि खर्च करने में सक्षम होंगे।
- इनकम टैक्स स्लैब में बदलावः**
 - नई व्यवस्था के तहत आय श्रेणियों की संख्या छह से घटाकर पाँच करने और कर छूट की सीमा बढाकर तीन लाख रुपए करने की योजना बनाई गई थी।
 - कर नरिधारक अभी भी पूर्व व्यवस्था से चयन करने में सक्षम होंगे।
 - वेतनभोगी और पेंशनभोगीः** नई प्रणाली में 15.5 लाख रुपए से अधिक कर योग्य आय के लयि मानक कटौती 52,500 रुपए है।

BENEFITS UNDER THE NEW TAX REGIME

FY'23	Tax rate	FY'24	Tax rate	Cumulative benefit
Rs 2.5 lakh	Nil	Up to 3 lakh	Nil	₹ 2,500
Rs 2.5-5 lakh	5%	₹ 3-6 lakh	5%	₹ 7,500
Rs 5-7.5 lakh	10%	₹ 6-9 lakh	10%	₹ 15,000
Rs 7.5 to 10 lakh	15%	₹ 9-12 lakh	15%	₹ 25,000
Rs 10-12.5 lakh	20%	₹ 12-15 lakh	20%	₹ 37,500
Rs 12.5-15 lakh	25%	NA	NA	N.A
Above Rs 15 lakh	30%	Above ₹ 15 lakh	30%	₹ 37,500

Standard deduction benefit has also been extended to new tax regime

■ पेंशनभोगी के लिये:

- वर्तित मंत्रि ने नई कर व्यवस्था में मानक कटौती का लाभ देने की घोषणा की।
 - 15.5 लाख रुपए या उससे अधिक आय वाले प्रत्येक वेतनभोगी व्यक्तिको 52,500 रुपए का लाभ होगा।

■ अधभार के साथ अधिकतम कर:

- नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधभार दर को 37% से घटाकर 25% करने का प्रस्ताव किया गया है। इससे अधिकतम कर की दर घटकर 39% हो जाएगी।
 - भारत में उच्चतम कर दर 42.74% है। यह विश्व में सबसे अधिक है।
- नई कर व्यवस्था के तहत कर की दरें कम कर दी गई हैं तथा अधिकतम सीमांत दर 42.74% से घटकर 39% हो गई है।

■ वर्तित वधियक, 2023:

- वर्तित वधियक, 2023 भी पेश किया गया जिसमें आयकर अधिनियम की धारा 56(2)VIIB में संशोधन करने का प्रस्ताव है।
 - प्रावधान में कहा गया है कि जब कोई गैर-सूचीबद्ध कंपनी, जैसे कि स्टार्टअप अपने निर्धारित मूल्य से अधिक शेयर जारी करने के लिये इक्विटी नविश प्राप्त करती है, तो इसे स्टार्टअप के लिये आय माना जाएगा तथा "अन्य स्रोतों से आय" शीर्षक के तहत आयकर के अधीन होगा।
 - आयकर अधिनियम की धारा 56(2)VIIB जैसे आम बोलचाल की भाषा में 'एंजेल टैक्स' के रूप में जाना जाता है, पहली बार वर्ष 2012 में पेश किया गया था ताकि किसी कंपनी के शेयर धारकों के माध्यम से बेहिसाब धन के उत्पादन और उपयोग को रोका जा सके।
 - इसमें विदेशी नविशकों को भी शामिल करने का प्रस्ताव किया गया था, जिसका मतलब है कि जब कोई स्टार्टअप किसी विदेशी नविशक से धन प्राप्त करता है, तो उसे अब आय और कर योग्य माना जाएगा।

स्टार्टअप के समक्ष चुनौतियाँ:

- विदेशी नविशक स्टार्टअप के लिये वर्तितपोषण का महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं, जो उनकी बढ़ी हुई कीमत में योगदान करते हैं, अतः प्रस्तावित संशोधनों का नविश की मात्रा पर प्रभाव पड़ सकता है।
 - PwC इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2022 में भारत के स्टार्टअप हेतु वर्तितपोषण 33% घटकर 24 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।
- भारत में एंजेल नविशकों पर कर की पुनः शुरुआत से स्टार्टअप विदेश में स्थानांतरित हो सकते हैं, क्योंकि विदेशी नविशक स्टार्टअप में अपने नविश से जुड़े अतिरिक्त करों का भुगतान नहीं करना चाहते हैं।

अंकित मूल्य:

- अंकित मूल्य की परिभाषा के अनुसार, जारी करने के समय यह किसी भी स्टॉक (या किसी वित्तीय साधन) का डॉलर मूल्य है। इसे नाममात्र मूल्य या डॉलर मूल्य भी कहा जाता है।
- अंकित मूल्य = इक्विटी शेयर पूंजी/बकाया शेयरों की संख्या।

[स्रोत: मटि](#)

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/new-tax-regime>

